



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
Registration of Corporate Agents - Regulations, 2015

फार्म बी
FORM B
[विनियम 4 और 9 देखें]
[See regulations 4 & 9]
पंजीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: CA0385
Registration No: CA0385

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा **Kerala Financial Corporation** को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन **Corporate Agent (General)** कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए (श्रेणी का विवरण लिखें) पंजीकरण प्रदान करता है।
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to **Kerala Financial Corporation** to act as **Corporate Agent (General)** (Mention details of category) corporate agent under that Act.

2. उक्त कारपोरेट एजेंट के लिए पंजीकरण कूट **CA0385** है।
Registration Code for the corporate agent is **CA0385**

3. यह पंजीकरण **14-Jul-2016** से **13-Jul-2019** तक वैध होगा।
This registration shall be valid from **14-Jul-2016** to **13-Jul-2019**

4. यह पंजीकरण अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

This registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान:
Place : **Hyderabad**

Date : **14-Jul-2016**

दिनांक:

आदेशानुसार
By Order

Validity unknown

Digitally signed by
Tejavath Mark
Date: 2016.07.15 14:13:08
+05:30

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India